

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 941/2022

URN: CMA / 1536U / 2022

Shri Gopal Manghani S/o Shri Thawardas Manghani, Aged 49
Years, R/o 2/42, Sundar Nagar Gali No. 2 Beawar, District Ajmer.

-----Appellant/Claimant

Versus

1. Shri Mohan Singh S/o Shri Neer Singh, R/o Pakhariyawas
Tehsil Beawar, District Ajmer
(Driver Of Vehicle Tractor No. RJ 36-RA-3108)
2. Shri Ameer S/o Dau Singh, R/o Pakhariyawas Tehsil
Beawar, District Ajmer
(Registered Owner Of Vehicle Tractor No. RJ 36-RA-3108)
3. Manger, Choramandalam M S General Insurance Company
Limited Khiwsara Tower Office No. 2 Second Floor, 5 Bapu
Bazar, Udaipur
(Insurance Company Of Vehicle Tractor No. RJ 36-RA-
3108)

-----Respondents/Non-Claimants

For Appellant(s)	:	Mr. Rahul Singh Meratwal, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Chanderdeep Singh Jodha, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

03/07/2026

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं.3), ब्यावर (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-209/2019 (50/2019), श्री गोपाल मंघानी बनाम श्री मोहनसिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थी द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप **कुल 80,00,000/- रुपये** क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका में याची को **कुल 13,65,371/- रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज **7.5 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। उक्त निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थी की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की मासिक आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए 6,058/- रुपये निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गई है, जबकि वक्त घटना अपीलार्थी मंघानी फुटवियर के नाम से व्यवसाय कर 50,000/- रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करता था। दुर्घटना में अपीलार्थी के पैर में अस्भिभंग व अन्य गंभीर चोटें कारित हुई है, जिनके सामूहिक प्रभाव से उसके शरीर पर कुल 22.33 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद कोई राशि नहीं दिलवाई गई है तथा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में व अन्य मदों में भी अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण के निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थी की ओर से संस्थित की गयी अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप उसके शरीर पर कुल 22.33 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता आना पाया गया है,

जैसा कि स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श-17 के अवलोकन से स्पष्ट है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa Lamzane & Anr.** reported in **(2018) 9 Supreme Court Cases 450**, में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :-

"12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries."

"13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd. explained "just compensation" in the following words:"

"15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 18.07.2018 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थी को मंघानी फुटवियर के नाम से व्यवसाय कर 50,000/- रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है। किंतु अपीलार्थी द्वारा अपने व्यवसाय की आय व व्यय बाबत कोई हिसाब आदि विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के कार्य की प्रकृति को

दृष्टिगत रखते हुए तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर उसे कुशल श्रमिक होना मानते हुए अपीलार्थी की मासिक आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए $233 \times 26 = 6,058/-$ रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गयी है। जबकि अपीलार्थी की आय की गणना 30 दिवस के आधार पर तय किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार अपीलार्थी की आय $233 \times 30 = 6,990/-$ रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाती है। वक्त घटना अपीलार्थी को 49 वर्ष की आयु का स्वनियोजित व्यवसायी होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी निर्धारित मासिक आय 6,990/- रुपये पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 25 प्रतिशत (1,747/- रुपये) की बढ़ोतरी किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार अपीलार्थी की कुल शुद्ध मासिक आय 8,737/- रुपये होती है जो क्षतिपूर्ति निर्धारण का आधार रहेगी।

8. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थी के पैर में गंभीर चोटें कारित हुई हैं, जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी के शरीर में कुल 22.33 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। विद्वान अधिकरण ने अपीलार्थी की 22.33 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता के आधार पर आय की क्षति पूर्णांक में 22 प्रतिशत मानी है। अतः अपीलार्थी को 22.33 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता होने के आधार पर हम भी अपीलार्थी को आय की क्षति पूर्णांक में 22 प्रतिशत होना पाते हैं। तदनुसार अपीलार्थी की मासिक आय 8,737/- रुपये का 22 प्रतिशत 1,922/- रुपये होता है जो अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। वक्त घटना अपीलार्थी को 49 वर्ष आयु का माना गया है, जिसका खण्डन नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति की गणना हेतु अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए **13 का गुणक** लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार

अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति **1,922 x 12 x 13 = 2,99,832 /— रुपये** होती है जो अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

9. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को पौष्टिक आहार की मद में 10,000 /— रुपये की राशि दिलवायी गयी है, जिसे संशोधित करते हुए हम उक्त मद में अपीलार्थी को 25,000 /— रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को 61 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में 30,500 /— रुपये व मेडिकल बिलों की मद में 10,25,000 /— रुपये की राशि दिलवाई गई है। अतः उक्त मदों में दिलवाई गई राशि में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 20,000 /— रुपये की राशि दिलवाई गई है, जिसे संशोधित करते हुए हम अपीलार्थी को उक्त मद में 50,000 /— रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा में कमी की मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। अतः उक्त मद में हम अपीलार्थी को 50,000 /— रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को यातायात व परिवहन की मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। अपीलार्थी इलाज के लिए ब्यावर, अजमेर व जयपुर में भर्ती रहा है। इस आधार पर हम अपीलार्थी को उक्त मद में 25,000 /— रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

14. उक्तानुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी हैं :-

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	भविष्य में होने वाली आय की क्षति के मद में	2,99,832 /— रुपये
2.	पौष्टिक आहार की मद में	25,000 /— रुपये
3.	61 दिन अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	30,500 /— रुपये
4.	मेडिकल बिलों की मद में	10,25,000 /— रुपये

5.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में	50,000 / – रुपये
6.	भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा में कमी के मद में	50,000 / – रुपये
7.	परिवहन व यातायात की मद में	25,000 / – रुपये
8.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि	15,05,332 / – रुपये
9.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	13,65,371 / – रुपये
10.	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	1,39,961 / – रुपये

15. तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थी/क्लेमेंट को **13,65,371 / – रुपये** दिलवाये जाने का निर्णय पारित किया गया है, के स्थान पर **15,05,332 / – रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

16. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थी, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

17. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित अधिकरण को लौटाया जावे।

18. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

19. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J